भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional Office, Chandigarh**

सत्यमेव जयते

F.No.-: 9-PBB457/2021-CHA

दिनांक: 29-10-2021

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाबसरकार, लघुसचिवालय,
सेक्टर-9,चण्डीगढ।
(fcf@punjab.gov.in)

विषय:- **Diversion of 0.0987 ha of forest land in favour of Bharat Petroleum Corporation Limited for construction of approach road for proposed retail outlet of Bharat Petroleum Corporation Limited at Village Muchhal, Khasra No. 95//19/2/1, 95//22/2, CH. 428.285 R/s, NH-01 (New NH-03) on Jalandhar-Amritsar road, Tehsil baba Bakala, under forest division and District Amritsar, Punjab. (Online Proposal No. FP/PB/Approach/119052/2021)-regarding**

Ref: (i) State Government online proposal received on dated 25.10.2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0987** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) **वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-**

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

ii. प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

iii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iv. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएग

v. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

vi. FRA Certificate from competent authority to be submitted.

vii. CLU certificate from competent authority to be submitted.

viii. Correct authorization letter to be submitted.

Scanned with CamScanner

...राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की ... हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़/पौधें जायेंगे | प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 39, पोलो की संख्या 13 और पौधो की संख्या 08 से अधिक नहीं होगी |

iii. The State Government shall upload the KML files of the degraded forest area accepted for raising compensatory afforestation in the E-Green watch portal of FSI, before handling over of forest land to the user agency.

iv. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

v. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

vi. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इस के उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी |

vii. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।

viii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंहुच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) वविभाजकद्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा |

ix. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

x. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xiii. अन्य कोई भीशर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xiv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xv. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों 1.21 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

xvi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयआदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।***केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा।***

भवदीय,

हस्ता/-
(सी०डी०सिंह)
क्षेत्रीय आधिकारी
IRO, MOEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन,जोर बाग़, अलीगंज, नईदिल्ली (adgfc-mef@nic.in)।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस०ए०एस०नगर, मोहाली ,पंजाब(pccfpunjab@gmail.com)।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला Amritsar पंजाब | (dfoamritsar@rediffmail.com)
4. BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED, SUCHIPIND, JALANDHAR. (bpcljalandhar21@gmail.com)

Signed by C D Singh
Date: 29-10-2021 13:12:3

Scanned with CamScanner

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 6640 ਮਿਤੀ 10-11-2021

ਦਿਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ Sh. Nandan Kumar Singh, Territory Manager (Retail) BPCL, Suchi Pind Jalandhar ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੈਧਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ:-

→ CA ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ = 120283/- ਰੁਪਏ

→ Entry Point ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ = 12028/- ਰੁਪਏ

→ Net Present Value = 87547/- ਰੁਪਏ

→ Additional Tall Plants = 28392/- ਰੁਪਏ

→ Total Amount = 2,48,250/- ਰੁਪਏ

ਉਕਤ ਰਕਮਾਂ www.parivesh.nic.in ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਨੰ: (vi), (vii), (viii) (ਜਾਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਸ਼ਰਤ ਨੰ: (B) ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੰਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ (72,00,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) 2,482,789/- ਰੁਪਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ online/RTGS ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

Reciever Name – MD, Punjab State Forest Development Corporation Ltd

Account No. – 50200043910029

IFSC Code – HDFC0000450

Bank Address – HDFC Bank, SCO No. 382, Sector 37D, Chandigarh.

ਉਕਤ ਰਕਮਾਂ/ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ

ਜਲੰਧਰ।